(58)

प्रपत्र–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No-----------------------------------

Dated----------------------------

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.6610** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Gram Vikash Department, Govt of UKD for the construction of Motor Road from **Raiagar Chaurmunya (Rai) to Bhul ki Adhayali in Pithoaragrh** district falls within jurisdiction of Pipli, **Chaukhuna, Mangarh and Bhul ki Adhayali ,chamachaur** village (s) in **Berinag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ......60.....to .....62.....annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Date---28.08.017

District Collector
जिलाधिकारी
Pithoragarh
पिथौरागढ़

(59)

प्रपत्र–30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
# DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr..C...Ravi..Sankar.......I.A.S deputy commissioner, Pithoragarhon dated .28.08..017.. at time .3.00..P.M..at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring **4.6610Hect.** for the construction of **Raiagar Chaurmunya (Rai) to Bhul ki Adhayali** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of berinag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; ...Pithoragarh

Dated: ...28.08.017

District Collector
Pithoragarh

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बेरीनाग

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.4910 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.1700 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात **कुल 4.6610 हे0** वन भूमि ) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 05/08/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वैभव गुप्ता उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी बेरीनाग, पिथौरागढ़ , अध्यक्ष
2– श्री मुरली मनोहर भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग, पिथौरागढ़ , सदस्य
3– श्री कुन्दन सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग, पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
4– श्री राजेन्द्र राम बी0डी0सी0 क्षेत्र ~~भूल की अध्याली~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** परियोजना हेतु **4.6610 हे0** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** परियोजना के निर्माण हेतु 4.6610हे0 वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत भूल की अध्याली
वि0 ख0 बेरीनाग पिथौरागढ

जिलाधिकारी
पिथौरागढ

उपजिलाधिकारी
बेरीनाग
पिथौरागढ़

| बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य | सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव | उप प्रभागीय वनाधिकारी | उपजिलाधिकारी अध्यक्ष बेरीनाग |
|---|---|---|---|

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

वनक्षेत्राधिकारी
बेरीनाग

प्रपत्र–30.3– ।

**परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**

**ग्राम पंचायत का नामः– [redacted] –चौखुना**

**तहसील–बेरीनाग** **जिला–पिथौरागढ़**

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (6.1440 हे0 नाप भूमि, 4.4910 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.1700 हे0वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 10.8050 हे0 वन भूमि का **ग्रामीण निर्माण विभाग पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट(पिथौरागढ़)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयद्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **चौखुना** द्वारा दिनांक 29.05.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चौखना** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** मोटर मार्ग किमी0 10.700 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नही है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नही हैं। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नही है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नही लायी गई है।

**प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।**

प्रधान
ग्राम पंचायत चौखुना
वि0 ख0– बेरीनाग
जनपद– पिथौरागढ
ह0/–
ग्राम प्रधान

ह0/– 
ग्राम सचिव चौखुना

प्रपत्र–30.3–।।

**परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**

ग्राम पंचायत का नामः– मनगड,

**तहसील–बेरीनाग** जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की** अध्याली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (6.1440 हे0 नाप भूमि, 4.4910 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.1700 हे0वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 10.8050 हे0 वन भूमि का **ग्रामीण निर्माण विभाग पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट(पिथौरागढ़)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयद्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मनगड** द्वारा दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मनगड** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** मोटर मार्ग किमी0 10.700 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नही है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नही हैं। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नही है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नही लायी गई है।

**प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।**

आनन्दी देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत-मनगड
वि.ख.-बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

ह0/– ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

प्रपत्र--30.3– III

**परियोजना का नाम– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**

**ग्राम पंचायत का नाम:– भूल की अध्याली**

**तहसील–बेरीनाग** **जिला–पिथौरागढ़**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (6.1440 हे0 नाप भूमि, 4.4910 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.1700 हे0वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 10.8050 हे0 वन भूमि का **ग्रामीण निर्माण विभाग पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट(पिथौरागढ़)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयद्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **भूल की अध्याली** द्वारा दिनांक 31.05.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **भूल की अध्याली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली** मोटर मार्ग किमी0 10.700 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नही है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नही हैं। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नही है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नही लायी गई है।

**प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।**

ह0/– [signature] ग्राम सचिव

ह0 [signature] प्रधान ग्राम पंचायत भूल की अध्याली वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़) ग्राम प्रधान

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

19AA 894052

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनाँक- 18-01-2014 को समस्त क्षेत्रवासियो की खुली बैठक की गई, जिसमे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया है कि चौडमन्या-भूल की अदयाली मोटर मार्ग निर्माण मे जिन लोगो की नाप, बेनाप, गोचर, पनघट की भूमि उक्त मोटर मार्ग निर्माण मे उपयोग किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नही है तथा ना ही भविष्य मे होगी। तथा उक्त मोटर मार्ग कटान मे जो भूमि कटान होगा। उसका हमे सरकार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। तथा उक्त सड़क चौडमन्या से कटान कर उक्त ग्रामीण अंचलों को जोड़ा जाना आवश्यक है। जिसमे निम्न गावो को जोडा जाना आवश्यक है।
1- भटीईजर, 2- मनगढ, 3- डुंगरीपंत, 4- भूल की अदयाली, 5- पदूर, 6- धारा 7- चामाचौड 8- सेला दुदरखोला 9- सिमायल 10- नानी शिलला आदि।

H. Man [illegible]

Amr [illegible] 30/1

ह० समस्त क्षेत्रवासी [illegible] दिनाँक.

[illegible] ग्राम सभा भूल की अदयाली

1. मदनसिंह पुत्र धरमसिंह
2- नारायणसिंह - " नारायणसिंह
3- मैनासिंह - गोपालसिंह मैनासिंह
4- पुष्कर सिंह S/O धीरसिंह [signature]
5- राजेन्द्रसिंह S/O बहादुर सिंह - राजेन्द्रसिंह
6- गोपालसिंह - कुंवरसिंह गोपालसिंह
7- भवानसिंह पुत्र हरसिंह [signature]
8- गोविन्दसिंह हनुमानसिंह
9- राम सिंह S/O रघुवरसिंह - राम सिंह

राम लाल
10 रामलाल पुत्र प्रेमराम -
11 गंगाराम पुत्र केशरराम - गंगाराम
12 - प्रेमराम -
13 - राजेन्द्रराम
14 - भवानीराम
15 - केशवराम

PAID SEAL
Cash Paid
Sub Treasury
Gangolihat 7/08/17

No. 4536 N.J. Stamp
Rs.

16- ~~दुर्गा सिंह पुत्र गुसाँई सिंह~~ D.S. Mehta
स्टाम्प वेन्डर, गंगोलीहाट
डी० एस० नेगी

17- [illegible]

18- कुशाल सिंह पुत्र हर सिंह - कुशाल सिंह

19- [illegible] सिंह S/ [illegible] सिंह

20- [illegible] प्रताप सिंह [illegible]

21- मोहन सिंह S/o [illegible] सिंह मोहन सिंह

22- बलवन्त सिंह S/o प्रताप सिंह बलवन्त सिंह

23- दान सिंह S/o दिवान सिंह दान सिंह

24- जीवन सिंह S/o महेन्द्र सिंह - जीवन सिंह

25 राजेन्द्र राम पुत्र श्री धनीराम - राजेन्द्र राम

26- नन्दीराम - धरम राम - नन्दीराम

27- दिवानी राम - भद्दर राम दीवानी राम

28- हरीश राम जोगाराम हरीश राम

29- किशोर राम - केशर राम किशोर राम

30- दीवान सिंह लछम सिंह दीवान सिंह

31- बलवन्त सिंह देव सिंह बलवन्त सिंह

32- विनोद राम मनोहर राम विनोद राम

33 विश्राम राम S/o देवराम विश्रामराम

34- गोपाल राम पुत्र [illegible] राम - गोपाल राम

35 जगत राम S/o बहादुर राम - जगत राम

36- नारायण राम S/o [illegible] राम सच लाल

37- [illegible]

38- [signature] (KAILASH CHANDRA)

39- सावित्री

40- गोविन्द राम - कैलाश चन्द्र

41- राजेन्द्र राम

# अनापत्ति पत्र

हम समस्त ग्रामवासी एवं भूमिधर हिस्सेदार ग्राम भूल की अथ्याली वाला को जो मोटर मार्ग राईआगर से भूल की अथ्याली तक पं० सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित है जिस योजना के अन्तर्गत प्रा० पाठशाला भूल की अथ्याली व आगे जाकर रा०उ०मा० विद्यालय चाया-चौड़ को जोड़ता है इस सड़क के आने पर ग्रामपंचायत वासियो को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि में खुशी की लहर है हम समस्त ग्राम वासियों को इससे लाभ होगा और भविष्य में भी हमें इससे कोई नुकसान नहीं है।

प्रधान
ग्राम पंचायत भूल की अथ्याली
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

हस्ताक्षर :-

1. राजेन्द्र राम
2. पूरन राम
3. कैलाश राम
4. Nirandan
5. गोपुली देवी
6. राजेन्द्र राम
7. सावित्री देवी
8. पूजा देवी
9. जानकी देवी
10. [illegible]
11. राजेन्द्र राम
12. सुन्दर राम
13. हरीश राम
14. गुड्डी देवी
15. आनन्दी देवी
16. मोहन राम

16. भागीरथी देवी
17. दिवानी राम
18. लछी राम
14. बसन्ती देवी
15. नरेन्द्र सिंह
16. लक्ष्मण सिंह
17. दीपक
18. राजेन्द्र राम
19. चन्द्र सिंह
20. नारायण सिंह
21. गोपाल सिंह
22. धन सिंह
23. माधो सिंह
24. तारा देवी
25. [illegible]

हम ग्राम वासी चौरसुना पीपली वासियो को यह ज्ञात हुआ है कि राईगढस्यारी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से चौरसुना, पीपली, घोरा, मनगढ़ जूनकी अद्याली और चामाचौड़ तक सड़क का निर्माण होना है, हम सभी ग्राम वासियो को बहुत खुशी हुई है, जिसमें यह सड़क हमारे ग्राम पं० चौरसुना से होते हुए जा रही है हम सभी ग्रामवासी हर्ष उल्लास के साथ अपनी जमीन तथा अन्य सहयोग देने मे हमे कोई आपत्ति नही है. सड़क का निर्माण राईगढस्यारी जिला पन्चायत की सड़क (मार्ग) से किया जाय. उपरोक्त क्षेत्रवासियो को इस सड़क को बनने मे कोई आपत्ति नही है,

कमलादेवी
उपप्रधान
ग्राम प० चौरसुना

प्रधान
ग्राम पं० चौरसुना

[signature] 1/7/16
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

| नाम | |
|---|---|
| 1 = गीरीश प्रसाद | [signature] |
| 2 = जयशंकर | [signature] जयशंकर |
| 3 = मोहित कुमार | मोहित कुमार |
| 4 = सुन्दर लाल | [signature] |
| 5 = पारस राम | पारस राम |
| 6 = गुसाईराम | गुसाईराम |
| 7 = चन्दरराम | चन्दरराम |
| 8 = राजेन्द्र प्रसाद | राजेन्द्र प्रसाद |
| 9 = गोविन्दराम | गोविन्दराम |
| 10 = प्रेमराम | प्रेमराम |
| 11 = फकीरराम | फकीरराम |

| नाम | ह० |
|---|---|
| 12 कमलेशसिंह | कमलेशसिंह |
| 13 नवीन कुमार | नवीन कुमार |
| 14 हेमा देवी | हेमा देवी |
| 15 गोपाल राम | [signature] |
| 16 लच्छीराम | लच्छीराम |
| रमेशराम | रमेशराम |
| सुभाष राम | सुभाष राम |
| दीवानीराम | दिवानीराम |
| कैलाशराम | कैलाशराम |
| भवानीराम | |
| नरेन्द्र कुमार | नरेन्द्र कुमार |
| हरीशराम | हरीशराम |
| मोहनराम | मोहनराम |
| जानकी देवी | जानकी देवी |
| कु० अन्जू | कु० अन्जू |
| बसन्त राम | बसन्तराम |
| विजय कुमार | विजय कुमार |
| मधुली देवी | मधुली देवी |
| जगदीश प्रसाद | जगदीश प्रसाद |
| विरेन्द्र कुमार | विरेन्द्र कुमार |
| नारायण राम | नारायणराम |
| मनोज कुमार | mKuma |
| सोहन लाल | Saten |
| गणेश राम | Ramesh |

# अनापत्ति पत्र

—————×—————

हम समस्त ग्रामवासी एवं भूमिधरी हिस्सेदार ग्राम पं॰ मनगढ़ वाले हस्ताक्षर कर दे रहे कि राईआगर से मूल की अध्याली हेतु जो मोटर मार्ग प० सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित है जिसमें हमारे ग्राम पं० एवं विद्यालय होते हुये जो कि सड़क निर्माण का कार्य होगा उसमें हम काश्तकारों, ग्रामीणो, भूमिधरी हिस्सेदारों एवं ग्राम में काबिज व्यक्तियों को किसी किस्म की कोई आपत्ति न है न ही भविष्य में की जायेगी।

आनन्दी देवी
प्रधान 17-2-2016
ग्राम पंचायत-मनगढ़
वि०ख०-बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

| | |
|---|---|
| (1) श्री कुंवर सिंह | कुंवर सिंह |
| (2) " राजेन्द्र | राजेन्द्र सिंह |
| 3 " भवान सिंह | [illegible] |
| (4) " फकीर सिंह | [illegible] |
| 5 " जोहर सिंह | जोहार सिंह |
| 6 " नैन सिंह | नैन सिंह |
| 7 " गोपाल सिंह | गोपाल सिंह |
| 8 - " राम सिंह | राम सिंह |
| - " विक्रम सिंह | विक्रम सिंह |
| - " किशन सिंह | किशन सिंह |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | श्री विशन सिंह | विशन सिंह |
| 13 | " बहादुर सिंह | [illegible] |
| 14 | " जगतराम | जगतराम |
| 15 | " लालूराम | लालूराम |
| 16 | " रमेश राम | रमेश राम |
| 17 | " मोहन सिंह | मोहन सिंह |
| 18 | " कुशाल सिंह | कुशाल सिंह |
| 19 | " गोपाल सिंह | [illegible] |
| 20 | " भवान सिंह | [illegible] |
| 21 | " गोविन्द सिंह | गोविन्द सिंह |
| 22 | " जोधार सिंह | जोधार सिंह |
| 23 | " चन्दु सिंह | चन्दु सिंह |
| 24 | " नारायण सिंह | [illegible] सिंह |
| 25 | " मोहन चन्द | मो॰ [illegible] |

हस्सेदा
है कि
मोट(
है जिस
हुवे
होगा
भिधारी
त्तयों
न है

-0016